सदस्य बैंकों के सूचनार्थ

संघ की प्रबंध समिति ने 31 जुलाई, 1985 को हुई अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि संघ, बैंक के ग्राहक वर्ग के लिए "नामांकन सुविधा" पर एक पुस्तिका तैयार करेगा। 8 अक्तूबर, 1985 को हुई प्रबंध समिति की बैठक में इस पुस्तिका के प्रारुप को अनुमोदित किया गया।

संघ, इस पुस्तिका को सहर्ष प्रकाशित कर रहा है। सदस्य बैंक अपने ग्राहकों के लाभार्थ इसका पुनर्मुद्रण कर सकते हैं। ऐसा करते समय, अपने बैंक का लोगो, नाम, पता इत्यादि के लिए उचित स्थान का निर्धारण करें।

ना. शि. प्रधान
सचिव
भारतीय बैंक संघ,
स्टेडियम हाउस, छठी मंजिल,
81-83, वीर नरीमन मार्ग,
बम्बई–400 020.

12 अप्रैल, 1986

बैंक ग्राहकों के लिए नामांकन सुविधा

लोगो

बैंक का नाम :

पता :

बैंकिंग कंपनीज नामांकन नियम

केन्द्र सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श कर बैंकिंग कंपनीज़ (नामांकन) नियम, 1985 का गठन किया है। ये नियम, नामांकन सुविधाओं के संबंध में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की नई धारा 45 ज़ेड ए से 45 ज़ेड एफ के उपबंधों के साथ 29 मार्च, 1985 की एक अधिसूचना द्वारा भारत सरकार द्वारा लागू किए गए थे।

सुविधा

उपर्युक्त नियम बैंकिंग कंपनी को निम्नलिखित अधिकार देते हैं :

(i) मृत जमाकर्ता के नामिती को, जमाकर्ता के खाते की बकाया राशि का भुगतान करना

(ii) मृत व्यक्ति द्वारा बैंक की सुरक्षित अभिरक्षा में छोड़ी गयी वस्तुएं नामिती को लौटाना

(iii) किरायेदार की मृत्यु होने पर, सुरक्षा लॉकर की वस्तुएं किरायेदार के नामिती को देना।

इस प्रकार, नामांकन सुविधा बैंक को यह अधिकार देती है कि वह जमा खाताधारक, बैंक की सुरक्षित अभिरक्षा में वस्तुएं रखने वाले ग्राहक या सुरक्षा लॉकर के किरायेदार की मृत्यु होने पर, मृत खाताधारक/ग्राहक के कानूनी वारिस से उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या बिल के प्रोबेट पर ज़ोर दिए बिना जमाराशि या सुरक्षित अभिरक्षा या सुरक्षा लॉकरों में रखी गयी वस्तुएं, जैसा भी मामला हो, नामिती को सौंपे।

...न सुविधा की प्रमुख विशेषताएं

...सुविधा चालू खाते, बचत बैंक खाते, तथा सभी प्रकार ... जमा खातों को परिचालित करने वाले खाताधारियों ...ध है।

...किसी एक ही व्यक्ति के पक्ष में किया जा सकेगा।

...के पक्ष में नामांकन करने की अनुमति इस शर्त पर दी ... नामांकन करते समय खाताधारक किसी ऐसे दूसरे ... नियुक्त करे जो नाबालिग न हो और नामिती के नाबा-...हुए यदि जमाकर्ता की मृत्यु हो जाए तो वह नामिती की ...म प्राप्त कर सके।

...जमाकर्ता की व्यक्तिगत हैसियत से रखी गयी जमा के ...ही किया जा सकेगा, न कि किसी प्रातिनिधिक हैसियत ...किसी पदधारी, अर्थात् कंपनी के निदेशक, संघ के सचिव, ...गीदार, अविभाजित हिन्दू परिवार (एच. यू. एफ.) के ...इसी तरह के रूप में।

...के नाम वाली जमा के मामले में, नामांकन, नाबालिग ... कार्य करने के लिए कानूनी रूप से हकदार व्यक्ति द्वारा ...गएगा।

...सावधि जमा के नवीनीकरण के बाद भी तब तक प्रभावी ...तक कि वह विशेष रूप से रद्द न किया जाए या बदल न ...।

...। अभिरक्षा

...किसी एक ही व्यक्ति के पक्ष में किया जा सकेगा।

- जब नामिती नाबालिग हो तो ग्राहक, नामांकन करते समय, नामिती के नाबालिग रहते हुए ग्राहक की मृत्यु हो जाने पर नामिती की ओर से वस्तुएं प्राप्त करने के लिए किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो नाबालिग न हो।

सुरक्षा लॉकर

- सुरक्षा लॉकर के एकमात्र किरायेदार के मामले में सिर्फ एक ही व्यक्ति के पक्ष में नामांकन किया जा सकेगा।
- जहां दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा बैंक से सुरक्षा लॉकर किराये पर लिया गया हो वहां नामांकन एक या अधिक व्यक्तियों के पक्ष में किया जा सकेगा।
- दो व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से किराये पर लिए गए सुरक्षा लॉकरों के मामले में, नामांकन में परिवर्तन या रद्द, सुरक्षा लॉकर के सभी किरायेदारों द्वारा संयुक्त रूप से ही किया जा सकेगा।
- जहां सुरक्षा लॉकर नाबालिग के नाम से किराये पर लिया गया हो, नामांकन, नाबालिग की ओर से कार्य करने के लिए कानूनी रूप से हकदार व्यक्ति द्वारा ही किया जाएगा।

नामांकन कौन कर सकता है?

- बैंक के वे खाताधारक, जिनके अपने व्यक्तिगत नामों या दो या दो से अधिक व्यक्तियों के संयुक्त नामों में जमा खाते हों।
- बैंक के वे ग्राहक, जिन्होंने बैंक की सुरक्षित अभिरक्षा में वस्तुएं रखी हों।
- बैंक के वे ग्राहक, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत नामों या दो या दो से अधिक व्यक्तियों के संयुक्त नामों में सुरक्षा लॉकरों को किराये पर ले रखा हो।

नाबालिग के नाम, बैंक में जमाखातों या सुरक्षित अभिरक्षा ा लॉकरों में रखी गयी वस्तुओं के मामले में, नाबालिग से कार्य करने के लिए कानूनी रूप से हकदार व्यक्ति।

नामांकन कैसे किया जाए ?

ुविधा प्राप्त करने के लिए विशिष्ट फॉर्म उपलब्ध हैं। क को सम्बन्धित फॉर्म भरना होगा। बैंक, सम्बन्धित क को नामांकन फॉर्म की प्राप्ति सूचना लिखित रूप में को बैंकों की बहियों में दर्ज किया जाएगा। प्रयुक्त होने नलिखित हैं :

ा खाते — डी ए 1

ुओं की सुरक्षित अभिरक्षा — एस सी 1

क्षा लॉकर

एकमात्र किरायेदार — एस एल 1

संयुक्त किरायेदार — एस एल 1ए

नामांकन को रद्द करना/में परिवर्तन

ाता प्रभावी हो तब तक किसी भी समय नामांकन को रद्द र्तन किया जा सकेगा। नामांकन को रद्द करने/उसमें परि- ान्मलिखित विशिष्ट फॉर्म उपलब्ध हैं :

ा खाते

करने के लिए — डी ए 2

रिवर्तन के लिए — डी ए 3

ुओं की सुरक्षित अभिरक्षा

करने के लिए — एस सी 2

रिवर्तन के लिए — एस सी 3

(ग) सुरक्षा लॉकर

एकमात्र और संयुक्त किराये- दारों द्वारा रद्द करने के लिए — एस एल 2

एकमात्र किरायेदार द्वारा परि- वर्तन के लिए — एस एल 3

संयुक्त किरायेदारों द्वारा परि- वर्तन के लिए — एस एल 3 ए

जब नामिती दावा करता है

यह सुनिश्चित करने के लिए कि जमाराशियां/वस्तुएं असली नामिती को ही दी जा रही हैं, बैंक निम्नलिखित बातों पर जोर देगा :

1. **जमाकर्ता की मृत्यु का प्रमाण**

   मृत्यु प्रमाण-पत्र या बैंक को स्वीकार्य मृत्यु का कोई दूसरा संतोषजनक प्रमाण बैंक में प्रस्तुत करना होगा।

2. **नामिती की पहचान**

   नामिती के दावे को सिद्ध करने वाला दावा फॉर्म, जो

   (i) दण्डाधिकारी या न्यायिक अधिकारी

   या

   (ii) केन्द्र या राज्य सरकार के किसी अधिकारी

   या

   (iii) किसी बैंक के एक अधिकारी

   या

   (iv) बैंक को स्वीकार्य दो व्यक्तियों द्वारा विधिवत् प्रमाणित किया गया हो

   बैंक में प्रस्तुत करना होगा।

रक्षित अभिरक्षा/सुरक्षा लॉकरों में रखी हुई वस्तुएं सौंपी जाएं

त करने के लिए अपना दावा सिद्ध करने के बाद, नामिती/
ती की ओर से नियुक्त व्यक्ति, निम्नलिखित फॉर्मों में से
भरेगा :

ो सुरक्षित अभिरक्षा में रखी हुई वस्तुओं की सूची का फॉर्म।

किराये पर लिए गए सुरक्षा लॉकर की वस्तुओं की सूची
र्म।

ा सूची* नामिती/नाबालिग नामिती की ओर से नियुक्त
गवाहों की उपस्थित में ली जाएगी।

बालिग नामिती की ओर से नियुक्त व्यक्ति को वस्तुएं,
एक प्रति के साथ दी जाएंगी।

बालिग नामिती की ओर से नियुक्त व्यक्ति, वस्तुओं को
ावती के लिए फॉर्म पर पूर्ण हस्ताक्षर करेगा।

ाधारकों को उनके हित में यह सलाह दी जाती है कि वे
का यथाशीघ्र लाभ उठाएं। सम्बन्धित फॉर्म शाखा प्रबंधक
है। कृपया निम्नलिखित से संपर्क करें :

....

....

....

रबड़ की मुहर प्रत्येक शाखा द्वारा लगायी जाएगी)

फों/पैकेटों के मामले में, जब वस्तुओं की सूची ली जाती है
ची पर–"बंद लिफाफे/पैकेट, अंतर्वस्तु अज्ञात" लिखा जाना

□